

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

भोपाल, दिनांक 2 AUG 2017

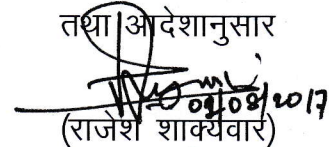
: आदेश :

क्रमांक एफ 16-20/2016/2/34 :: तकनीकी समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 21 जून 2017 में की गई अनुशंसा (बैठक की कार्यवाही विवरण की कंडिका 8.1) को संज्ञान में लेते हुए विभाग में नलकूप खनन कार्य करने वाले ठेकेदारों की विद्यमान कार्यक्षमता में वृद्धि तथा तकनीकी रूप से पात्रता रखने वाले नए ठेकेदारों को नलकूप खनन के निविदाओं में भाग लेने एवं उन्हें अवसर दिए जाने के लिए प्रमुख अभियंता कार्यालय के पत्र क्रमांक 118/पी.ए./मोनि./प्र.अ./लो.स्वा. यॉवि./2015 भोपाल दिनांक 01.04.2015 द्वारा जारी "निविदा की विशेष शर्तों" के बिन्दु क्रमांक-6 को संशोधित करते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार आदेश जारी करता है :-

1. निविदाकार द्वारा विभाग में विगत 3 वर्षों में खनित किये गये नलकूपों (यदि कोई हों) के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र केवल कार्यपालन यंत्री या उससे उच्च श्रेणी के अधिकारी का ही मान्य होगा।
2. नलकूप खनन की निविदाओं में किसी निविदाकार के वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृति योग्य पाए जाने पर निम्न (अ) तथा (ब) में से जो भी अधिक हो, की सीमा तक नलकूप कार्य उसे आवंटित किए जा सकेंगे :-
(अ) विगत 3 वर्षों में विभाग में किया गया औसत कार्य X 2
(ब) 50 नलकूप
3. ऐसे नये निविदाकार जो निविदा की शर्तों के अनुरूप निविदा में भाग लेने की पात्रता रखते हों, वे निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं ऐसे नये निविदाकार के वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृति योग्य होने पर उन्हें एक वित्तीय वर्ष में कण्डिका 2 (ब) में निहित सीमा तक नलकूप कार्य आवंटित किये जा सकेंगे। इस हेतु ऐसे निविदाकार लिफाफा-‘अ’ में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत कर जानकारी देंगे कि उन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने नलकूपों के कार्य विभाग द्वारा आवंटित किए जा चुके हैं।
4. यदि निविदा में एक से अधिक ग्रुप सम्मिलित हैं तो निविदाकार को कंडिका-2 अथवा कंडिका-3, जो भी लागू हो, में निहित प्रावधानों की सीमा में कार्य आवंटित किया जा सकेगा तथा शेष ग्रुप के लिये उसे तकनीकी रूप से अपात्र (Technically Disqualified) मानते हुये उसके शेष ग्रुप के वित्तीय प्रस्ताव नहीं खोले जायेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(राजेश शाक्यवार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ 16-20/2016/2/34
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 2 AUG 2017

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र.भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, म.प्र.जल निगम मर्यादित, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/ग्वालियर, जबलपुर, /वि./याँ. परिक्षेत्र भोपाल।
5. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.....मण्डल (समस्त)।
6. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड.....(समस्त)।


सचिव

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग